रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--25 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30082025-265810
CG-DL-W-30082025-265810

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30—सितम्बर 05, 2025 (भाद्रपद 8, 1947)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30—SEPTEMBER 05, 2025 (BHADRA 8, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	385
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	869
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	4413
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	2849
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	4327
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	385
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	869
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4413
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2849
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4327
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) आयोग/योजना मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2025

सं. ई.-11011/1/2018-हिंदी—भारत सरकार ने नीति (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) आयोग/योजना मंत्रालय के 05 मई, 2022 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए, नीति आयोग/योजना मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:—

गठन

	योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
I.	गैर-सरकारी सदस्य	
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
1.	डॉ. हेमांग जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
2.	डॉ. सी.एन. मंजूनाथ, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री गोविंदभाई लालजीभाई धोलकिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्री नगेन्द्र रॉय, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
5.	श्री रामचंद्र जांगड़ा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
नीति आयोग द्वारा नामित		
7.	मास्टर बलबीर सिंह	सदस्य
8.	श्री सत्यवीर नाहड़िया	सदस्य
9.	श्री सतीन्द्र प्रसाद	सदस्य
10.	डॉ. वी.के. अग्रवाल	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित		
11.	श्री भोज प्रकाश, महाप्रबंधक (राजभाषा) - सेवानिवृत	सदस्य
विश्व हिंदी परिषद द्वारा नामित		
12.	श्री परशुराम गुप्ता	सदस्य
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित		
13.	श्री शम्मसुस सादिक	सदस्य
14.	डॉ. आशा गहलोत	सदस्य
15.	श्री विलियम रिनामा पचुआ	सदस्य

II.	सरकारी सदस्य	
16.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
18.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग	सदस्य
19.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
20.	वरिष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नीति आयोग	सदस्य
21.	सलाहकार, विद्युत एवं ऊर्जा, नीति आयोग	सदस्य
22.	महानिदेशक, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली	सदस्य
23.	महानिदेशक, विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
24.	मिशन निदेशक, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), नीति आयोग	सदस्य सचिव
26.	कार्यक्रम निदेशक (संचार), नीति आयोग	सदस्य
27.	उप सचिव (प्रशासन), नीति आयोग	सदस्य
28.	उप निदेशक (राजभाषा), नीति आयोग	सदस्य

2. समिति के कार्य :—

समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों, तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार नीति आयोग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करना और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य अवधि :—

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्यतः 3 (तीन) वर्ष का होगा:—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण, रिक्त हुए स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

(घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. यात्रा/दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते :—

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

5. सामान्य अनुदेश :—

हिंदी सलाहकार समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इस समिति की वर्ष में 02 बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और नीति आयोग के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के.एस. रेजीमोन, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

नई दिल्ली–110023, दिनांक 26 अगस्त 2025

सं. ई.11017/12/2021- राजभाषा—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20015-रा.भा.(क-2) दिनांक 15 मार्च, 1988 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20015/45/87-रा.भा.(क-2) दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है—

(क) समिति का गठन

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य	
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	
1. श्री अभिमन्यु सेठी, सांसद (लोकसभा) – ओडिशा	सदस्य
2. श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद (लोकसभा) – राजस्थान	सदस्य
3. श्री आदित्य प्रसाद, सांसद (राज्यसभा) – झारखंड	सदस्य
4. श्री साना सतीश बाबू, सांसद (राज्यसभा) – आंध्र प्रदेश	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य	
5. श्री टी.एम. सेल्वागणपति, सांसद (लोकसभा)	सदस्य
6. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, सांसद (लोकसभा)	सदस्य
विश्व हिंदी परिषद द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि/सदस्य	
7. श्री सायन कुणाल, एस-32 प्रथम तल, व्यावसायिक परिसर, ग्रीन पार्क, उपहार सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110016	सदस्य
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य	
8. श्री व्योमेश शुक्ल, सी-27/111, बी-4, जगतगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002	सदस्य
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	
9. श्रीमती ललिता प्रदीप (पांडेय), 8, विवेकानंद मार्ग, (गुलिस्तान कॉलोनी/ संतोषी के पास, हजरतगंज, लखनऊ-226001	सदस्य
10. श्री भोला शंकर शर्मा,15/9, अशोक रोड, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201012	सदस्य
11. श्री शेषमणि शुक्ल,14/332, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	सदस्य
12. श्री हरिनारायण, कथादेश, 57-बी, पॉकेट-एल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110094	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य	
13. श्रीमती नेहा धवन, 459/4, मुल्तानी चौक, हांसी, हिसार-125033	सदस्य
14. डॉ. माणिक विश्वकर्मा, 39, यूनीहोम्स कॉलोनी, भाटागाँव,पानी टंकी के पास पोस्ट-सुंदर नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-492013	सदस्य
15. श्री श्रीकांथा कन्नन, 37, डॉ. राधाकृष्णन नगर मेन रोड ओल्ड नं.19, सरस्वती स्कूल के सामने, तिरुवनमियूर, चेन्नई,-600041	सदस्य
समिति के सरकारी सदस्य	
i. सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य

ii. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय -	सदस्य
iii. संयुक्त सचिव, (राजभाषा प्रभारी), एमएसडीई -	सदस्य सचिव
iv. संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय -	सदस्य
v. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय -	सदस्य
vi. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एमएसडीई -	सदस्य
vii. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली -	सदस्य
viii. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), नई दिल्ली -	सदस्य
ix. महानिदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), नई दिल्ली -	सदस्य
x. महानिदेशक, निस्बड, नोएडा, उत्तर प्रदेश -	सदस्य
xi. निदेशक, आईआईई, गुवाहाटी -	सदस्य
xii. निदेशक, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई -	सदस्य
xiii. निदेशक, केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता -	सदस्य
xiv. अपर निदेशक, जन शिक्षण संस्थान निदेशालय, नई दिल्ली –	सदस्य

(ख) कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों में निहित राजभाषा से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वियन तथा केन्द्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा से संबंधित जारी निर्देशों तथा मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में परामर्श देना होगा।

(ग) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा, बशर्ते कि-

1. संसद सदस्य जो समिति के सदस्य हैं, संसद के सदस्य नहीं रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

2. समिति के सरकारी सदस्य तब तक समिति के सदस्य बने रहेंगे, जब तक वे उस पद को धारण किए हुए हैं, जिसके आधार पर उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है।

3. समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि कोई व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही समिति का सदस्य होगा।

(घ) यात्रा एवं अन्य भत्ते

(i) समिति में मनोनीत सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद सदस्य (वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/34/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समय-समय पर संशोधित/निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ii) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता समिति की उच्चस्तरीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग के दिनांक 22.1.1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/86-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, नीति आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

NITI (NATIONAL INSTITUTE FOR TRANSFORMING INDIA) AAYOG/MINISTRY OF PLANNING

New Delhi, the 19 August 2025

RESOLUTION

No.E-11011/1/2018-Hindi—In supersession of NITI (National Institute for Transforming India) Aayog/ Ministry of Planning Resolution even No. Dated 05 May, 2022, The Government of India has decided to constitute the Hindi Advisory Committee of the NITI Aayog/Ministry of Planning as follows:-

COMPOSITION

	Minister of State (Independent Charge) for Ministry of Planning	Chairman
I.	Non-Official Members:	
Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs		
1.	Dr. Hemang Joshi, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
2.	Dr. C.N. Manjunath, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
3.	Shri Govindbhai Laljibhai Dholakiya, MP. (Rajya Sabha)	Member
4.	Shri Nagendra Roy, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
Nominated by the Parliamentary Committee on Official Language		
5.	Shri Ramchander Jangra, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
6.	Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
Nominated by the NITI Aayog		
7.	Master Balbeer Singh	Member
8.	Shri Satyavir Naharia	Member
9.	Shri Satinder Prasad	Member
10.	Dr. V.K. Aggarwal	Member
Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad		
11.	Shri Bhoj Prakash,General Manager (OL.) – Retired	Member
Nominated by Vishwa Hindi Parishad		
12.	Shri Parsuram Gupta	Member
Nominated by the Department of Official Language		
13.	Shri Shammsus Sadikk	Member
14.	Dr. Asha B. Gahlot	Member
15.	Shri William Rinawma Pachua	Member
II.	Official Members	
16.	Secretary, Deptt. Of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
17.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
18.	Chief Executive Officer, NITI Aayog	Member
19.	Additional Secretary & Financial Advisor, NITI Aayog	Member

20.	Senior Advisor, Science&Technology, NITI Aayog	Member
21.	Advisor, (Power & Energy) NITI Aayog	Member
22.	Director General, National Institute of Labour Economics Research & Development.	Member
23.	Director General, DMEO, NITI Aayog, New Delhi.	Member
24.	Mission Director, Atal Innovation Mission, New Delhi	Member
25.	Joint Secretary (Admn), NITI Aayog	Member Secretary
26.	Programme Director (Communication), NITI Aayog	Member
27.	Deputy Secretary (Admin), NITI Aayog	Member
28.	Deputy Director (Official Language), NITI Aayog	Member

2. FUNCTION OF THE COMMITTEE :—

The function of the Committee will be to review the position and tender advice in regard to progressive use of Hindi for official purpose in the NITI Aayog, it's attached and subordinate offices etc. in accordance with the constitutional provisions regarding Official Language, Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti, Official Language Act & Rules and instructions & directions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on the subject.

3. Tenure :—

The term of the Committee will be three years from the date of formation provided that:-

(a) Members of Parliament who are the members of the Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.

(b) Ex-officio Members of the Committee shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Committee.

(c) If a vacancy arises, on the Committee due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term for rest duration.

(d) Tenure of the Committee can be extended or curtailed in the special circumstances.

4. Travelling and other allowances :—

Non Official members of the Committee will be paid Travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Committee at the rates prescribed as per O.M.No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

5. General Instructions :—

Headquarter of the Hindi Salahkar Committee will be at New Delhi and the 02 meetings of this Committee is expected to be organized in a year.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administration, All Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay & Accounts Office of NITI Aayog, all attached and subordinate offices of the NITI Aayog.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K.S. REJIMON, Joint Secy. (Admin.)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

New Delhi–110023, the 26 August 2025

RESOLUTION

No. E.11017/12/2021- O.L .—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language Office Memorandum No. 11/20015-O.L. (A-2) dated 15th March, 1988 and O.M. No.11/20015/45/87-O.L. (A-2) dated 04-05-1989, the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is constituted as under.

(A) Constitution of the committee

Minister of State (I/C), Skill Development and Entrepreneurship	Chairman
Non-Official Members	
Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs	
1. Shri Abhimanyu Sethi, MP (Lok Sabha) – Odisha	Member
2. Smt. Manju Sharma, MP (Lok Sabha) – Rajasthan	Member
3. Shri Aditya Prasad, MP (Rajya Sabha) - Jharkhand	Member
4. Shri Sana Satish Babu, MP (Rajya Sabha) - Andhra Pradesh	Member
Member nominated by Parliamentary Committee on Official Language	
5. Shri T.M. Selvaganapathi, MP (Lok Sabha)	Member
6. Shri Omprakash Bhupalsingh alias Pawan Rajenimbalkar, MP (Lok Sabha)	Member

Representative/Member nominated by Vishwa Hindi Parishad, New Delhi

7. Shri Sayan Kunal	S-32 First Floor, Vyawasayik Parisar, Green Park Near Uphaar Cinema, New Delhi-110016	Member

Representative/Member nominated by Nagari Pracharini Sabha, Varanasi

8. Shri Vyomesh Shukla	C-27/111, B-4, Jagatganj, Varanasi, Uttar Pradesh -221002	Member

Nominated by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

9. Smt Lalita Pradeep (Pandey)	Address:- 8,Vivekanand Marg, (Near Gulistan Colony / Santushti, Hazratganj, Lucknow (U.P.)-226001	Member
10. Shri Bhola Shankar Sharma	Address:-15/9, Ashok Road, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad (U.P.)-201012	Member
11. Shri Sheshmani Shukla	Address: 14/332, Vasundhara, Ghaziabad (U.P.)-201012	Member
12. Shri Harinarayan	Address:- Kathadesh, 57-B, Pocket–L, Dilshad Garden, Delhi-110094	Member

Members nominated by the Department of Official Language

13. Smt. Neha Dhawan,	459/4, Multani Chowk, Hansi, Hisar- 125033	Member
14. Dr. Manik Vishwakarma	139, Unihomes Colony, Bantagaon, Sundar Nagar Post, Raipur District, Chattisgarh-492013	Member
15. Shri Sreekantha Kannan	37, Dr. Radhakrishnan Nagar Main Road, Old No 19, Near Saraswati School, Tiruvanmiyur, Chennai-600041	Member

Official Members of the committee

i.	Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Member
ii.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
iii.	Joint Secretary, (Incharge of Official Language), MSDE	Member Secretary
iv.	Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Member
v.	Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
vi.	Senior Economic Advisor, MSDE	Member
vii.	Director General, Directorate General of Training, New Delhi	Member
viii.	Managing Director, National Skill Development Corporation (NSDC), New Delhi	Member
ix.	Director General, National Council for Vocational Education and Training (NCVET), New Delhi	Member
x.	Director General, NISBUD, Noida, Uttar Pradesh	Member
xi.	Director, IIE, Guwahati	Member
xii.	Director, National Institute of Instructional Media, Chennai	Member
xiii.	Director, Central Staff Training & Research Institute, Kolkata	Member
xiv.	Additional Director, Jan Shikshan Sansthan Directorate, New Delhi	Member

(B) Functions

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official language Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also with regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

(C) Tenure

The term of the committee shall be three years from the date of its constitution, provided that-

1. Members of Parliament who are members of the Committee shall cease to be members of this Committee as soon as they cease to be members of the Parliament.
2. Official members of the Committee shall continue to be members so long as they hold the office by virtue of which they have been made a member of the Committee.
3. During the tenure of the Committee, if any person is nominated as a member of the Committee, he shall be a member only for the remaining period of the tenure of the Committee.

(D) Travelling and other Allowances

(i) The Members nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/ Daily Allowance as per the provisions in the 'Members of Parliament (Salary, Allowances and Pension) Act, 1954' and the rates and rules as amended/fixed from time to time vide Department of Official Language OM No.11/20034/34/2005-O.L. (Policy-2), dated 03.02.2006 for participating in the meetings of the Samiti.

(ii) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL (Policy-2) dated 22.1.1987 keeping in view of the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog and to the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for the information of the general public.

M SUBRAMANIAN, Joint Secy.

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.08.30 09:34:50 +05'30'